## मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006का अधिनियम संख्यांक 43)

[13 सितम्बर, 2006]

(2006का अधिनियम संख्यांक 43) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 का संशोधन। की धारा 2 की उपधारा (1) में,—
  - (क) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - '(च) ''अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा'' से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;';

1994 का 10

- (ख) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - '(छ) ''सदस्य'' से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;';
- (ग) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—
- '(झ)''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग'' से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है;
- (झक) ''राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'' से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है।'।

धारा 3 का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,---
- (क) उपधारा (3) में, ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग'' शब्दों के स्थान पर ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (4) में, ''जो आयोग उसे प्रत्यायोजित करे'' शब्दों के स्थान पर ''(न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे'' कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा ४ का संशोधन।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,---
  - (क) उपधारा (1) में, ''अन्य सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर ''सदस्यों'' शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उपधारा (2) में, ''समिति में कोई रिक्ति है'' शब्दों के स्थान पर ''उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- 5. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना।

- ''5. (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
- (2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपित के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपित द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
  - (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य,—
    - (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या
  - (ख) अपनी पदाविध में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या
    - (ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
    - (घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
  - (ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

धारा ६ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''6. (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अविध तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अविध के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

- (3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।''।
- 7. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा ८ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''8. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं:

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्ते।

षरन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 10 का संशोधन।

- ''(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी।''।
- 9. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

धारा 12 का संशोधन।

- (क) खंड (क) में ''उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा'' शब्दों के पश्चात्, ''या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निदेश पर'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
  - (ख) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - "(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;"।
- 10. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 13 का संशोधन।

"(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लिम्बत किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो।

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरम्भ में उसके समक्ष फाइल की गई हो।''। धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई।

- 11. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- ''18. आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्ः—
  - (क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को—
    - (i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;
    - (ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;
      - (iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;
  - (ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;
  - (ग) जांच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;
  - (घ) खण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;
  - (ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अविध के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अन्तर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;
  - (च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।''।

धारा 21 का संशोधन ।

- 12. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—
  - (क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:—
  - ''(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—
    - (क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;
    - (ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है;
    - (ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है;'';
  - (ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
  - "(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमित से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सर्केंगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमित देता है:

'परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी'।''।

13. मूल अधिनियम की धारा 22 में,----

धारा 22 का संशोधन।

- (क) पार्श्व शीर्ष में ''अन्य सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर ''सदस्यों'' शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उपधारा (1) में, ''अन्य सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर ''सदस्यों'' शब्द रखा जाएगा;
- (ग) उपधारा (2) में, ''सिमिति में कोई रिक्ति है'' शब्दों के स्थान पर ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट सिमिति में कोई रिक्ति है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- 14. मूल अधिनियम की धारा 23 में,---

धारा 23 का संशोधन ।

- (क) पार्श्व शीर्ष ''राज्य आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना'' के स्थान पर ''राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना'' पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा;
  - (ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थातु:—
  - ''(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
  - (1क) उपधारा (2) के उपवंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।'';
  - (ग) उपधारा (2) में,—
  - (क) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर ''उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
  - (ख) ''अन्य सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, ''सदस्य'' शब्द रखा जाएगा।
- 15. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''24. (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अविध तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अविध तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अविध के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

- (3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।''।
- 16. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तै। ''26. (1) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भक्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।''।

धारा 40 का संशोधन। 1 र्न. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ''सदस्यों'' शब्द के स्थान पर ''अध्यक्ष और सदस्यों'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा ४०ख का अंत:स्थापन। 18. मूल अधिनियम की धारा 40क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

- ''40ख. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शिक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—
  - (क) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
  - (ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े;
  - (ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यशािष्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अविध के लिए रखा जाएगा। यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई पिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निम्नभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्नभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''।

धारा 41 का संशोधन। 19 मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में, ''सदस्यों'' शब्द के स्थान पर ''अध्यक्ष और सदस्यों'' शब्द रखे जाएंगे।

राष्ट्रपति ने दि प्रोटैक्शन आफ ह्यूमन राईट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार। Secretary to the Government of India.